

प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री अनिल शर्मा यह प्रार्थना

पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो।

विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली

वास्ते जवाब दिनांक 13/12/23 को पेश हो।

13/12/23 पत्रावली पेशा जवाब देते हैं  
16/12/23 को पेश हो

16/12/23 पत्रावली पेशा खर्च रुमी गई  
जुर्जन-फन लकीरा खर्च के ठ  
लकीरा रुमी खर्च के ठ  
रुमी खर्च के ठ  
पत्रावली पेशा रुमी खर्च के ठ

